जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग की योजनाएँ

युवक एवं महिला मंगलदल : ग्रामीण अंचल में बिखरी हुई युवा शक्ति को संगठित करके उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना, युवक/महिला मंगलदल के गठन का प्रथम उद्देश्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक युवक तथा एक महिला मंगल दल का गठन होना होता है। ग्राम पंचायत का कोई युवक/युवती जिसकी उम्र 15 से 35 वर्ष हो इस दल के सदस्य बन सकते हैं। यह दल महिला समृद्धि, राष्ट्रीय बचत, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा श्रमदान, विधवा विवाह, अस्पृश्यता निवारण, दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सहयोग देता है।

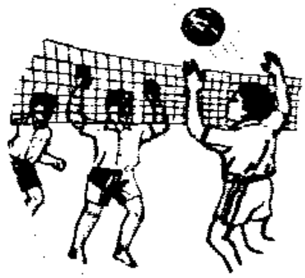

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करना : नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत युवक/महिला मंगल दलों के गठन का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्राप्त है। प्रत्येक युवक/महिला मंगल दल के अध्यक्ष/अध्यक्षा को रु० 225/- ग्राम प्रधान के ग्राम निधि खाते में हस्तांतरित किया जाता है, जिससे ग्राम प्रधान प्रत्येक दल को खेलकूद सामग्री क्रय करके उपलब्ध कराता है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता : इस विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर 16 वर्षीय बालक/बालिकाओं की खुली खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। जनपद स्तर के विजयी प्रतिभागी मण्डल एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

ग्रामीण व्यायामशाला : इस जनपद में दो व्यायामशालाएँ स्थापित हैं, जहाँ प्रतिदिन युवक व्यायाम एवं जिमनास्टिक का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में एक व्यायामशाला बनाने का सरकार का लक्ष्य है।

ग्रामीण अखाड़ा : ग्रामीण अंचलों में कुश्ती/दंगल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक विकास खण्ड में अखाड़े का निर्माण कराया जा चुका है तथा इन अखाड़ों पर आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करा दिया गया है।

ग्रामीण युवा विचार गोष्ठी : युवक/महिला मंगलदलों के लिए युवा विचार गोष्ठी का आयोजन प्रत्येक विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर कराया जाता है।

लघु सिंचाई विभाग का निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम

नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषक की कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु यह योजना चलाई गईहै जिसमें सीमांत कृषक (2.5 एकड़ तक असिंचित भूमि की दशा में) तथा लघु कृषक (2.5 एकड़ भूमि से ऊपर परन्तु 5 एकड़ तक असिंचित भूमि की दशा मे) के लिये यह योजना अनुमन्य है। सीमान्त कृषक को नि:शुल्क बोरिंग हेतु 4000/- रु० तक का अनुदान बोरिंग हेतु तथा 3750/-रु० पम्पसेट स्थापना हेतु अनुदान अनुमन्य है। लघु कृषक 3000/- रु० का अनुदान बोरिंग हेतु तथा 2800/- रु० पम्पसेट स्थापना हेतु अनुदान अनुमन्य है एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के के कृषक को 5000/-रु० का अनुदान बोरिंग हेतु तथा 5650/-रु० पम्पसेट स्थापना हेतु अनुदान अनुमन्य है। सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति को पम्पसेट स्थापना हेतु शासन द्वारा 50 डिस्मिल तक के जोत पर पम्पसेट हेतु ऋण अनुमन्य है। नि:शुल्क बोरिंग में 3000/-, 4000/- तथा 5000/- रु० में कृषक को बोरिंग हेतु पाइप आदि सामग्री तथा मजदूरी इत्यादि अनुमन्य है। इस सीमा से अधिक धन व्यय होने की दशा में कृषक स्वयं अपने संसाधन से शेष धन व्यय करता है।

यह योजना एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं एस०एम०एफ०पी० योजना के रूप में व्यवहृत है। एकीकृत ग्राम विकास योजना में वही कृषक चयनित होते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हों तथा एस०एम०एम०एफ०पी० योजना में आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक के लिए एक एकड़ से कम जोत पर पम्पसेट लेना बाध्यकारी नहीं है परन्तु सामान्य कृषकों को पम्पसेट लेना अनिवार्य है।

नि:शुल्क बोरिंग कार्यक्रम इस विभाग में वर्ष 1984-85 से लागू किया गया है, उसका विस्तृत विवरण प्रकार है।